

कार्यालय, मुख्य चुनाव अधिकारी, दिल्ली OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली -110006, फोन नं. - 23977130

ई मेल: <u>electiondelhi2019@gmail.com</u> <u>eocoedel@gmail.com</u> Old St. Stephen's College Building, Kashmere Gate, Delhi-10006. Phone no- 23977130, Email: electiondelhi2019@gmail.com eocoedel@gmail.com

Dated: 05 3 2019

No.CEO/COE/102 (75)/2018/ 11481 -11506

To.

The District Election officers of all eleven districts, ROs of 7 PCs, Govt. of NCT of Delhi.

Sub: Amended and Revised Form-26 (Format of Affidavit to be filed by candidates) -reg.

Madam/Sir,

I am directed to forward herewith a copy of email dt. 28-02-2019 on the subject cited above forwarding amended Form 26 referring to Commission's letter No.3/4/2017/SDR/Vol.II dated 10/10/2018 and revised Form-26 referring to the Commission's letter of even no. dated 14-02-2019 forwarding the "Compendium of Instructions on Election Expenditure Monitoring (February, 2019)" and to state that Ministry of Law and Justice vide its Notification no.H-11019/13/2016-Leg.II, dated 26.02.2019 has amended the format of Affidavit (Form 26) to be submitted by candidates while filing their nomination with the Returning Officer and the amended version of Form 26 may be incorporated in the "Compendium of Instructions on Election Expenditure Monitoring (February, 2019)" for information and necessary action.

This issues with the prior approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,

Encl: 1. Hard copy of amended & revised Form-26 for 7 ROs only)

2. Soft copy of the amended & revised Form-26 have been mailed to all concerned.

(T. MISAO) ELECTION OFFICER (COE)

Copy for information and necessary action to:

- 1. All SDMs (Election).
- 2. EO (P&I) with the request to incorporate the amendment /revised Form-26 in the Compendium of Instructions for the Election Expenditure Monitoring before printing.
- 3. State NO (EEM) and NO(EEM), O/o CEO, Delhi for information and compliance.
- 4. The Senior System Analyst (IT) with the request to upload the same under the link "Lok Sabha 2019" on the website of the Department.

By Speed Post/e-mail

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 76/ECI/INST/FUNC/EEM/EEPS/2019/Vol. III

Dated: 28th February, 2019

To

The Chief Electoral Officers of All States and Union Territories

Subject:-Compendium of Instructions on Election Expenditure Monitoring (February, 2019)-

Madam/Sir,

I am directed to refer to the Commission's letter of even number dated 14th February.

2019, forwarding the "Compendium of Instructions on Election Expenditure Monitoring

(February, 2019)" and to state that Ministry of Law and Justice vide its Notification no. H-

11019/13/2016-Leg. II, dated 26.02.2019 has amended the format of Affidavit (Form 26) to be

submitted by candidates while filing their nomination with the Returning Officer.

2. You are requested to bring this to the notice of DEOs, ROs, candidates, political parties

and all election authorities. The amended version of Form 26 may be incorporated in the

"Compendium of Instructions on Election Expenditure Monitoring (February, 2019)", in

English/regional language, before getting it printed for distribution to candidates, political parties

and all election authorities for necessary compliance in the forthcoming General Elections to Lok

Sabha, 2019.

Yours faithfully,

(AVINASH KUMAR) SECRETARY

(Hindi version follows)

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No.3/4/2019/SDR - Vol.I

Dated: 28th February, 2019

To,

The Chief Electoral Officers of All States and UTs.

Sub: Amendments in Form-26 (Format of Affidavit to be filed by candidates).

Sir.

I am directed to invite reference to the Commission's letter No. 3/4/2017/SDR/Vol II dated 10/10/2018, on the subject cited, and to state that Form 26 appended to the CE Rules 1961 has been further amended vide Ministry of law and Justice Notification no. S.O.1023 (E). dated 26/02/2019 (copy enclosed). The consolidated Form-26 after incorporating the amendments is enclosed herewith. The candidates are now required to file the affidavit in this amended form-26.

- 2. This letter may be circulated to all DEOs, ROs in the State/Union Territory for necessary action on their part. This shall also be circulated to all Political parties based in the State, i.e. the State Units of the recognized Parties and recognized State parties of other States and all registered un-recognized political parties with headquarters based in your State/Union Territory, with instructions to t-ke note of the amendments in Form-26. Adequate publicity shall also be given in this regard so that all concerned are aware of the amendments in Form-26.
- 3. Please acknowledge receipt and confirm action taken

· J

Yours faithfully,

N.T. Bhutia) Secretary

Form 26 (See rule 4A)

Please affix your recent passport size photograph here

NOI TO. FRO	FIDAVIT MINATION DM NSTITUEN	PAPER E		THE RI	ETURN	ING O	DIDATE OFFICER THE (NAME	FOR ELI	GWITH ECTION HOUSE) THE
				<u>PAR</u>	<u>Γ A</u>				
of year full	rs, resident postal addre	ofess), a cand	•••••••••••	•••••	Ag	• • • • • • • • •	••••••	(me	ention
	I am a cand ame of the p						endent can	didate.	
(**s	trike out wh	ichever is n	ot applicab	ole)					
	My name Constituenc								of the
1	My contact to e-mail id (if any) is/are	elephone nu any) is	ımber(s) is	/are	an	d my s	ocial medi	a account	nd my (s) (if
(i)	•••••								
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •								
(iii)									

(4) Details of Permanent Account Number (PAN) and status of filing of Income tax return:

Sl. No.	Names	PAN	The financial Total income year for shown in Income Tax Return(in which the last Income-tax return has been filed Total income tax Return(in Rupees) for the last five last Incometax return has on 31 st March)
	Self		(i) (ii) (iii) (iv) (v)
2.	Spouse		(i) (ii) (iii) (iv) (v)
3.	HUF (If Candidate is Karta/Coparcener)		(i) (ii) (iii) (iv) (v)
4.	Dependent 1		(i) (ii) (iii) (iv) (v)

5.	Dependent 2	(i)
		(ii)
		(iii)
		(iv)
		(v)
6.	Dependent 3	(i)
		(ii)
		(iii)
		(iv)
		(v)

Note: It is mandatory for PAN holder to mention PAN and in case of no PAN, it should be clearly stated "No PAN allotted".

(5) Pending criminal cases

(i) I declare that there is no pending criminal case against me. (Tick this alternative if there is no criminal case pending against the Candidate and write NOT APPLICABLE against alternative (ii) below)

OR

(ii) The following criminal cases are pending against me:

(If there are pending criminal cases against the candidate, then tick this alternative and score off alternative (i) above, and give details of all pending cases in the Table below)

Table

a)	FIR No. with name		
	and address of		
	Police Station		
	concerned		
ľ			

(b)	Case No. with Name		
	of the Court		
(c)	Section(s) of		
	concerned	-	
	Acts/Codes involved		
	(give no. of the		
	Section, e.g.		
	Sectionof IPC,		
	etc.).		
(d)	Brief description of		
	offence		
(e)	Whether charges		
	have been framed		
	(mention YES or		
	NO)		
(f)	If answer against (e)		
	above is YES, then		
	give the date on		
	which charges were		
	framed		
(g)	Whether any		
	Appeal/Application		
	for revision has been		
	filed against the		
	proceedings		
	(Mention YES or		
	NO)		

- (6) Cases of conviction
- (i) I declare that I have not been convicted for any criminal offence. (Tick this alternative, if the candidate has not been convicted and write NOT APPLICABLE against alternative (ii) below)

OR

- (ii) I have been convicted for the offences mentioned below:
- (If the candidate has been convicted, then tick this alternative and score off alternative
- (i) above, and give details in the Table below)

Table

(a)	Case No.		
(b)	Name of the Court		
(c)	Sections of Acts/Codes involved (give no. of the Section, e.g. Section of IPC, etc.).		
(d)	Brief description of offence for which convicted		
(e)	Dates of orders of conviction		
(f)	Punishment imposed		
(g)	Whether any Appeal has been filed against conviction order (Mention YES		

(h)	If answer to (g)	
` '	above is YES, give	
	details and present	
	status of appeal	

(6A) I have given full and up-to-date information to my political party about all pending criminal cases against me and about all cases of conviction as given in paragraphs (5) and

[candidates to whom this Item is not applicable should clearly write NOT APPLICABLE IN VIEW OF ENTRIES IN 5(i) and 6(i), above]

- 1. Details should be entered clearly and legibly in BOLD letters.
- 2. Details to be given separately for each case under different columns against each
- 3. Details should be given in reverse chronological order, i.e., the latest case to be mentioned first and backwards in the order of dates for the other cases.
- 4. Additional sheet may be added if required.
- 5. Candidate is responsible for supplying all information in compliance of Hon'ble Supreme Court's judgment in W. P (C) No. 536 of 2011.
- (7) That I give herein below the details of the assets (movable and immovable etc.) of myself, my spouse and all dependents:

A. Details of movable assets:

- Note: 1. Assets in joint name indicating the extent of joint ownership will also have to be given.
- Note: 2. In case of deposit/Investment, the details including Serial Number, Amount, date of deposit, the scheme, Name of Bank/Institution and Branch are to be given.
- Note: 3. Value of Bonds/Share Debentures as per the current market value in Stock Exchange in respect of listed companies and as per books in case of non-listed companies should be given.
- Note: 4. 'Dependent' means parents, son(s), daughter(s) of the candidate or spouse and any other person related to the candidate whether by blood or marriage, who have no separate means of income and who are dependent on the candidate for their livelihood.
- Note: 5. Details including amount is to be given separately in respect of each investment

Note: 6. Details should include the interest in or ownership of offshore assets.

Explanation,- For the purpose of this Form, the expression "offshore assets" includes, details of all deposits or investments in Foreign banks and any other body or institution abroad, and details of all assets and liabilities in foreign countries';

S. No.	Description	Self	Spouse	HUF	Dependent-1	Dependent-2	Dependent-3
(i)	Cash in hand						
(ii)	Details of deposit in Bank accounts (FDRs, Term Deposits and all other types of deposits including saving accounts), Deposits with Financial Institutions, Non-Banking Financial Companies and Cooperative societies and the amount in each such deposit						
(iii)	Details of investment in Bonds, Debentures/Shares and units in companies/Mutual Funds and others and the amount.						
(iv)	Details of investment in NSS, Postal Saving, Insurance Policies and investment in any Financial instruments in Post office or Insurance Company and the amount						

(ix)	Gross Total value			
(viii)	Any other assets such as value of claims/interest			
(vii)	Jewellery, bullion and valuable thing(s) (give details of weight and value)			
(vi)	Motor Vehicles/Aircrafts/ Yachts/Ships (Details of Make, registration number. etc. year of purchase and amount)			
(v)	Personal loans/advance given to any person or entity including firm, company, Trust etc. and other receivables from debtors and the amount.			

B. Details of Immovable assets:

Note: 1. Properties in joint ownership indicating the extent of joint ownership will also have to be indicated

Note: 2. Each land or building or apartment should be mentioned separately in this format

Note: 3. Details should include the interest in or ownership of offshore assets.

S. No	Description	Self	Spouse	HUF	Dependent-1	Dependent-2	Dependent-3
(i)	Agricultural Land						
	Location(s) Survey number(s)						
	Area (total measurement in acres)						

ether inherited perty s or No) e of purchase in case pelf - acquired property st of Land (in case of chase) at the time of chase y Investment on the d by way of relopment, construction proximate Current rket value n-Agricultural Land						
st of Land (in case of chase) at the time of chase y Investment on the d by way of relopment, construction proximate Current rket value						
chase) at the time of chase y Investment on the d by way of relopment, construction proximate Current rket value						
d by way of relopment, construction proximate Current rket value						
rket value						
n-Agricultural Land						
cation(s) rvey number(s)						
ea (total measurement sq. ft.)						
nether inherited operty es or No)						
te of purchase in case self - acquired property						
est of Land (in case of rchase) at the time of rchase						
ny Investment on the and by way of						
velopment, construction						
velopment, construction c. pproximate current arket value						
v	proximate current	proximate current	proximate current rket value	proximate current	proximate current rket value mmercial Buildings	proximate current rket value

	Area (total measurement in sq. ft.)						
	Built-up Area (total measurement in sq.ft.)						
	Whether inherited property (Yes or No)						
	Date of purchase in case of self - acquired property	,	,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Cost of property (in case of purchase) at the time of purchase						
	Any Investment on the property by way of development, construction etc.						
	Approximate current market value					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
(iv)	Residential Buildings (including apartments): -Location (s) -Survey number(s)						
	Area (Total measurement in sq. ft)						
	Built up Area (Total measurement in sq. ft.)						
	Whether inherited property (Yes or No)						
	Date of purchase in case of self – acquired property						
	Cost of property (in case of purchase) at the time of purchase						
	Any Investment on the land by way of development, construction etc.						
	Approximate current market value						

(v)	Others (such as interest in			
	property)			
(vi)	Total of current market value of (i) to (v) above			

(8) I give herein below the details of liabilities/dues to public financial institutions and government:-

(Note: Please give separate details of name of bank, institution, entity or individual and amount before each item)

S.	Description	Self	Spouse	HUF	Dependent-1	Dependent-2	Dependent-3
No.							
S. No. (i)	Loan or dues to Bank/Financial Institution(s)						
	Name of Bank or Financial Institution, Amount outstanding, Nature of loan						
	Loan or dues to any other individuals/ entity other than mentioned above.						
	Name(s), Amount outstanding, nature of loan						
	Any other liability						
	Grand total of liabilities						

(ii)	Government Dues:	(A) Has the Deponent been in occupation of YES/NO accommodation provided by the Government at (Pl. tick the
	Dues to departments dealing with Government accommodation	any time during the last ten years before the date of notification of the current election? (B) If answer to (A) above is YES, the following declaration may be furnished namely:-
		(i) The address of the Government accommodation:
		(ii) There is no dues payable in respect of above Government accommodation, towards-
		(a) rent;
		(b) electricity charges;
		(c) water charges; and
		(d) telephone charges as on(date)
		[the date should be the last date of the third month prior to the month in which the election is notified or any date thereafter].
		Note- 'No Dues Certificate' from the agencies concerned in respect of rent, electricity charges, water charges and telephone charges for the above Government accommodation should be submitted.
(iii)	Dues to department dealing with Government transport (including aircrafts and helicopters)	

•		Self	Spouse	HUF	Dependent-1	Dependent-2	Dependent-3
(iv)	Income Tax dues						
(v)	GST dues						
(vi)	Municipal/Property tax dues						
(vii)	Any other dues						
(viii)	Grand total of all Government dues						
(ix)	Whether any other liabilities are in dispute, if so, mention the amount involved and the authority before which it is pending.						

(9) Det	ails of profession or occupation:
(a)	Self
(b)	Spouse
(9A) D	etails of source(s) of income:
(a)	Self
(b)	Spouse
(c)	Source of income, if any, of dependents,
(9B) C	ontracts with appropriate Government and any public company or companies
(a)) details of contracts entered by the candidate
(b) details of contracts entered into by spouse
(c)) details of contracts entered into by dependents
(d) details of contracts entered into by Hindu Undivided Family or trust in which the

candida	ate or spouse or dependents have interest
(e) details spouse	of contracts, entered into by Partnership Firms in which candidate or or dependents are partners
(f) details spouse	of contracts, entered into by private companies in which candidate or or dependents have share
(10) My educa	tional qualification is as under:
•••••	
(Give details of certificate/ diplo	f highest School / University education mentioning the full form of the oma/ degree course, name of the School /College/ University and the year

in which the course was completed.)

PART – B

(11). ABSTRACT OF THE DETAILS GIVEN IN (1) TO (10) OF PART - A:

1.		Name of the candidate			Sh./Sm	t./Kum.				
2.		Full postal address Number and name of the constituency and State Name of the political party which set up the candidate (otherwise write 'Independent') Total number of pending criminal cases							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3.										
4.										
5.										
6.		Total Number of ca convicted							*** **********************************	
7.			PAN	N of		ar for which ome Tax R		To	tal Income Sho	wn
		(a) Candidate					<u> </u>	 		
		(b) Spouse					·	<u> </u>		
		(c) HUF						1		
		(d) Dependent								
8.		Details of Assets and I	iabiliti	es (incl	udin	g offshore	assets) in ru	ipees	}	
		Description	Self	Spo	use	HUF	Depende	nt-1	Dependent-2	Dependent-3
A.		Moveable Assets (Total value)								·
B.		Immovable Assets								
	I	Purchase Price of self-acquired immovable property								
	II	Development/const ruction cost of immovable property after purchase (if applicable)								

	III	Approximate Current Market Price (a) Self-acquired assets (Total Value) (b) Inherited assets	е					
		(Total Value)						
9.		Liabilities						
	(i)	Government dues (Total)						
	(ii)	Loans from Bank,						
		Financial Institutions	5					
		and others (Total)						
10.		Liabilities that are	under dispu	te	<u> </u>	<u> </u>		
	(i)	Government dues (Total)						
	(ii)	Loans from Bank, Financial Institutions and others (Total)					, , ,	
11.		Highest educational	qualificatio	n:				
		(Give details of hig diploma/ degree cou was completed.)	hest School rse, name of	/Univers	ity education ool /College/ U	mentioning the Jniversity and	full form of the the year in whi	ne certificate/ ch the course

VERIFICATION

- I, the deponent, above named, do hereby verify and declare that the contents of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed there from. I further declare that:-
- (a) there is no case of conviction or pending case against me other than those mentioned in items 5 and 6 of Part A and B above;
- (b) I, my spouse, or my dependents do not have any asset or liability, other than those mentioned in items 7 and 8 of Part A and items 8, 9 and 10 of Part B above.

Verified	atthis	theday
of		
		DEPONENT

Note: 1. Affidavit should be filed latest by 3.00 PM on the last day of filing nominations.

Note: 2. Affidavit should be sworn before an Oath Commissioner or Magistrate of the First Class or before a Notary Public.

Note: 3. All columns should be filled up and no column to be left blank. If there is no information to furnish in respect of any item, either "Nil" or "Not applicable", as the case may be, should be mentioned.

Note: 4. The affidavit should be either typed or written legibly and neatly.

Note: 5. Each page of the Affidavit should be signed by the deponent and the Affidavit should bear on each page the stamp of the Notary or Oath Commissioner or Magistrate before whom the Affidavit is sworn.



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 891] No. 891]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 26, 2019/ फाल्गुन 7, 1940

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 26, 2019/PHALGUNA 7, 1940

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2019

का.आ. 1022(अ).—केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 33 के साथ पठित धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, विधान सभा निर्वाचनों का संचालन (सिक्किम) नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- 1. (1) इन नियमों ्रा संक्षिप्त नाम विधान सभा निर्वाचनों का संचालन (सिक्किम) (संशोधन) नियम, 2019 है।
 - (2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. विधान सभा निर्वाचनों का संचालन (सिक्किम) नियम, 1979 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के प्ररूप 2च में,--
 - (क) भाग 3 में "मैं यह भी घोषणा करता हूं" से संबंधित पैरा के पश्चात् और "(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)" के पूर्व निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा:--

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मुझे वर्तमान आम निर्वाचन या साथ ही साथ सिक्किम विधान सभा के लिए होने वाले उप-निर्वाचन में दो से अधिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा। (ख) भाग 4 में विद्यमान पैरा को उसके पैरा 1 के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार

3. मूल नियमों के प्ररूप 2छ में,--

(क) भाग 3 में "मैं यह भी घोषणा करता हूं" से संबंधित पैरा के पश्चात् और "(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)" के पूर्व निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा:--

"मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मुझे वर्तमान आम निर्वाचन या साथ ही साथ सिक्किम विधान सभा के लिए होने वाले उप-निर्वाचन में दो से अधिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।"

(ख) भाग 4 में विद्यमान पैरा को उसके पैरा 1 के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार

पुन:संख्याकित परा के पश्चात् और "(अभ्यथी के हस्ताक्षर)" के पूर्व निम्नलिखित अंत:स्थापित किर जाएंगे, अर्थात्:
"2. क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर है? (हां/नहीं)
– यदि हां, तो धारण किए गए पद के ब्यौरे
3. क्या अभ्यर्थी को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है?(हां/नहीं)
- यदि हां तो क्या वह दिवालियापन से उनमोचित हो चुका है
4. क्या अभ्यर्थी किसी विदेश के प्रति राज्यनिष्ठा या अनुषक्ति के अधीन है? (हां/नहीं)
- यदि हां तो उसके ब्यौरे दें
5. क्या अभ्यर्थी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क के अधीन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निरर्हित किया गया है?(हां/नहीं)
- यदि हां, तो वह अवधि जिसके लिए अभ्यर्थी को निरर्हित किया गया है
6. क्या अभ्यर्थी को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन पदधारण करने के दौरान भ्रष्टाचार के कारण या अभक्ति के पदच्युत किया गया श्राह्म (हां/नहीं)
- यदि हां तो ऐसी पदच्युति की तारीख
7. क्या अभ्यर्थी की, सरकार के साथ व्यक्तिगत हैसियत में या ऐसे न्यास या भागीदारी द्वारा, जिसमें अभ्यर्थी का, उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिए या उस सरकार द्वारा किए गए संकर्मों के निष्पादन के लिए कोई शेयर है, कोई विद्यमान संविदा (संविदाएं) हैं?(हां/नहीं)
- यदि हां तो किसी सरकार के साथ और विद्यमान संविदा (संविदाओं) के ब्यौरे
8. क्या अभ्यर्थी किसी ऐसी कंपनी या निगम का (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) को जिसकी पूंजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कम से कम पच्चीस प्रतिशत शेयर है प्रबंध अभिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है?(हां/नहीं)
- यदि हां तो किस सरकार के साथ और उसके ब्यौरे
9. क्या अभ्यर्थी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन आयोग द्वारा निरर्हित किया गया है(हां/नहीं)
यदि हां तो निरर्हता की तारीख"
यमों के प्ररूप 2ज में,

4. मूल नि

(क) भाग 3 में "मैं यह भी घोषणा करता हूं" से संबंधित पैरा के पश्चात् और "(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)" के पूर्व निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा:--

"मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मुझे वर्तमान आम निर्वाचन या साथ ही साथ सिक्किम विधान सभा के लिए होने वाले उप-निर्वाचन में दो से अधिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।"

(ख) भाग 4 में विद्यमान पैरा को उसके पैरा 1 के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार

पुन:संख्यांकित पैरा के पश्चात् और "(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)" के पूर्व निम्नलिखित अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:
"2. क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पदधारण किया हुअ है?(हां/नहीं)
यदि हां, तो धारण किए गए पद के ब्यौरे
3. क्या अभ्यर्थी को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है?(हां/नहीं)
- यदि हां तो क्या वह दिवालियापन से उनमोचित हो चुका है
4. क्या अभ्यर्थी किसी विदेश के प्रति राज्यनिष्ठा या अनुषक्ति के अधीन है?(हां/नहीं)
- यदि हां तो उसके ब्यौरे दें
5. क्या अभ्यर्थी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क के अधीन राष्ट्रपति के आदेश द्वार निरर्हित किया गया है?(हां/नहीं)
- यदि हां, तो वह अवधि जिसके लिए अभ्यर्थी को निरर्हित किया गया है
6. क्या अभ्यर्थी को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन पदधारण करने के दौरान भ्रष्टाचार के कारण या अभक्ति के लिए पदच्युत किया गया था?(हां/नहीं)
- यदि हां तो ऐसी पदच्युति की तारीख
7. क्यः अभ्यर्थी की, सरकार के साथ व्यक्तिगत हैसियत में या ऐसे न्यास या भागीदारी द्वारा, जिसमें अभ्यर्थी का, उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिए या उस सरकार द्वारा किए गए संकर्मो के निष्पादन के लिए कोई अंश है, कोई विद्यमान संविदा (संविदाएं) हैं?(हां/नहीं)
- यदि हां तो किसी सरकार के साथ और विद्यमान संविदा (संविदाओं) के ब्यौरे
8. क्या अभ्यर्थी किसी ऐसी कंपनी या निगम का (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) जिसकी पूंजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कम से कम पच्चीस प्रतिशत शेयर है प्रबंध अभिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है?(हां/नहीं)
- यदि हां तो किस सरकार के साथ और उसके ब्यौरे
9. क्या अभ्यर्थी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क ने अधीन आयोग द्वारा निरर्हित केया गया है(हां/नहीं)
- यदि हां तो निरर्हता की तारीख"
[फा.सं.एच-11019/13/2016-वि.2]
डॉ. रीटा वशिष्ट, अपर सचिव

पाद **टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ.संख्यांक 519, तारीख 7 सितंबर, 1979 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का.आ.सं. 3263(अ), तारीख 16 सितंबर, 2016 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2019

S.O. 1022(E).—In exercise of the powers conferred by section 169 read with section 33 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government after consulting the Election Commission hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Assembly Elections (Sikkim) Rules, 1979, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Conduct of Assembly Elections (Sikkim) Amendment Rules, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Conduct of Assembly Elections (Sikkim) Rules, 1979 (hereinafter referred to as the principal rules), in Form 2F,-
 - (a) in Part III, after the Paragraph relating to "further declaration" and before the "(Signature of the Candidate)", the following Paragraph shall be inserted, namely:-

"I also declare that I have not been, and shall not be nominated as a candidate at the present general election or the bye-elections being held simultaneously, to the Legislative Assembly of Sikkim from more than two Assembly constituencies.";

- (b) in Part IV, the existing Paragraph shall be numbered as Paragraph 1 thereof and after the Paragraph 1 as so numbered and before the "(Signature of the Candidate)", the following Paragraphs shall be inserted, namely:—
 - "2. Whether the candidate is holding any office of profit under the Government of India or the State Government?----- (Yes/No).
 - If Yes, details of the effice held----
 - 3. Whether the candidate has been declared as an insolvent by any court?---- (Yes/No).
 - If Yes, has he been discharged from the insolvency -----
 - 4. Whether the candidate is under allegiance or adherence to any foreign country? -----(Yes/No).
 - If Yes, give details ----
 - 5. Whether the candidate has been disqualified under section 8A of the Representation of the People Act, 1951, by an order of the President?----- (Yes/No).
 - If Yes, the period for which the candidate has been disqualified ------
 - 6. Whether the candidate was dismissed for corruption or for disloyalty while holding office under the Government of India or the Government of any State? -----(Yes/No).
 - If Yes, the date of such dismissal -----
 - 7. Whether the candidate has any subsisting contract(s) with the Government either in individual capacity or by trust or partnership in which the candidate has a share for supply of any goods to that Government or for execution of works undertaken by that Government?----- (Yes/No).
 - If Yes, with which Government and the details of subsisting contract(s) ------
 - 8. Whether the candidate is a managing agent, or manager or secretary of any company or Corporation (other than a co-operative society) in the capital of which the Central Government or the State Government has not less than twenty-five per cent. share?----- (Yes/No).
 - If Yes, with which Government and the details thereof -----
 - 9. Whether the candidate has been disqualified by the Election Commission under section 10A of the Representation of the People Act, 1951----- (Yes/No).
 - If yes, the date of disqualification----.".

In the principal rules, in Form 2G,-

(a) in Part III, after the Paragraph relating to "further declaration" and before the "Signature of the Candidate", the following Paragraph shall be inserted, namely:-

"I also declare that I have not been, and shall not be nominated as a candidate at the present general election or the bye-elections being held simultaneously, to the Legislative Assembly of Sikkim from more than two Assembly constituencies.";

- (b) in Part IV, the existing Paragraph shall be numbered as Paragraph 1 thereof and after the Paragraph 1 as so numbered and before the "(Signature of the Candidate)", the following Paragraphs shall be inserted, namely:-
 - "2. Whether the candidate is holding any office of profit under the Government of India or the State Government?----- (Yes/No).
 - If Yes, details of the office held-----
 - 3. Whether the candidate has been declared as an insolvent by any court?-----(Yes/No).
 - If Yes, has he been discharged from the insolvency -----
 - 4. Whether the candidate is under allegiance or adherence to any foreign country? --- (Yes/No).
 - If Yes, give details -----
 - 5. Whether the candidate has been disqualified under section 8A of the Representation of the People Act, 1951, by an order of the President?----- (Yes/No).
 - If Yes, the period for which the candidate has been disqualified ------
 - 6. Whether the candidate was dismissed for corruption or for disloyalty while holding office under the Government of India or the Government of any State? -----(Yes/No).
 - If Yes, the date of such dismissal -----
 - 7. Whether the candidate has any subsisting contract(s) with the Government either in individual capacity or by trust or partnership in which the candidate has a share for supply of any goods to that Government or for execution of works undertaken by that Government?----------------(Yes/No).
 - If Yes, with which Government and the details of subsisting contract(s) ------
 - 8. Whether the candidate is a managing agent, or manager or secretary of any company or Corporation (other than a co-operative society) in the capital of which the Central Government or the State Government has not less than twenty-five per cent. share?------(Yes/No).
 - If Yes, with which Government and the details thereof -----
 - 9. Whether the candidate has been disqualified by the Election Commission under section 10A of the Representation of the People Act, 1951------(Yes/No).
 - If yes, the date of disqualification----."
- 4. In the principal rules, in Form 2H,-
 - (a) in Part III, after the Paragraph relating to "further declaration" and before the "Signature of the Candidate", the following Paragraph shall be inserted, namely:—

"I also declare that I have not been, and shall not be nominated as a candidate at the present general election or the bye-elections being held simultaneously, to the Legislative Assembly of Sikkim from more than two Assembly constituencies.";

(b) in Part IV, the existing Paragraph shall be numbered as Paragraph 1 thereof and after the Paragraph 1 as so numbered and before the "(Signature of the Candidate)", the following Paragraphs shall be inserted, namely:-

India or the State Government? (Yes/No).
- If Yes, details of the office held
3. Whether the candidate has been declared as an insolvent by any court?(Yes/No).
- If Yes, has he been discharged from the insolvency
4. Whether the candidate is under allegiance or adherence to any foreign country? (Yes/No).
- If Yes, give details
5. Whether the candidate has been disqualified under section 8A of the Representation of the People Act, 1951, by an order of the President? (Yes/No).
- If Yes, the period for which the candidate has been disqualified
6. Whether the candidate was dismissed for corruption or for disloyalty while holding office under the Government of India or the Government of any State?(Yes/No).
- If Yes, the date of such dismissal
7. Whether the candidate has any subsisting contract(s) with the Government either in individual capacity or by trust or partnership in which the candidate has a share for supply of any goods to that Government or for execution of works undertaken by that Government? (Yes/No).
- If Yes, with which Government and the details of subsisting contract(s)
8. Whether the candidate is a managing agent, or manager or secretary of any company or Corporation (other than a co-operative society) in the capital of which the Central Government or the State Government has not less than twenty-five per cent. share?
- If Yes, with which Government and the details thereof
9. Whether the candidate has been disqualified by the Election Commission under section 10A of the Representation of the People Act, 1951 (Yes/No).
- If Yes, the date of disqualification".
[F. No. H-11019/13/2016-Leg. II] Dr. REETA VASISHTA, Addl. Secy.
rules were published in the Gazetta of India Times to

Foot Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 519, dated the 7th September, 1979 and were last amended vide number S.O. 3263 (E), dated the 16th September, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2019

का.आ. 1023(अ).—केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 33 के साथ पठित धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2019 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

- 2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के प्ररूप 26 में,-
- ा. भाग अ में,-
 - (i) पैरा 4 और उसके नीचे की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
 - "(4) स्थायी खाता संख्या (पैन) और आयकर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति:

क्रम सं.	नाम	पीएएन (स्थायी खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	पिछले पांच वित्तीय वर्षों (31 मार्च को) के लिए आय-कर विवरणी में दर्शित कुल आय(रुपये
				में)
1.	स्वयं			(i)
				(ii)
				(iii)
			1	(iv)
				(v)
2.	पति/पत्नी	·		(i)
				(ii)
ļ				(iii)
				(iv)
	-			(v)
3.	हिंदू अविभक्त कुटुंब (यदि अभ्यर्थी कर्ता या सहदायिक है)			(i)
				/ii)
				(ii) (iii)
				(iv)
				(v)
4.	आश्रित-1			(i)
				(ii)
				(iii)
		·		(iv)
	••	·		(v)
5.	आश्रित-2			(i)
				(ii)
				(iii)
				(iv)
			·	(V)
6.	आश्रित-3			(i)

<u></u>	 	
		(ii)
		(iii)
		(iv)
		(v)

टिप्पण: स्थायी खाता संख्या (पैन) धारक के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना आज्ञापक होगा और कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) न होने की दशा में यह स्पष्ट रूप से कथन करना चाहिए कि "कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आबंटित नहीं हुआ है"।

(ii) पैरा 7 में,-

(क) "क. जंगम संपत्तियों का ब्यौरा" शीर्षक के नीचे "टिप्पण 5" के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'टिप्पण: 6. ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

स्पष्टीकरण,- इस टिप्पण के प्रयोजन के लिए "अपतट आस्तियों" पद से विदेशी बैंकों और किसी अन्य विदेशी निकाय या संस्था में सभी जमा राशियों या विनिधानों के ब्यौरे और विदेशों में सभी आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे अभिन्नेत हैं;

- (ख) सारणी में "पति/पत्नी" स्तंभ शीर्षक के पश्चात् "हिंदू अविभक्त कुटुंब" शीर्षक के साथ एक नया स्तंभ अंत:स्थापित किया जाएगा ;
- (ग) "ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे" शीर्षक के नीचे-
- (अ) "टिप्पण 2" के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण: 3. ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।"

- (आ) सारणी में" पति/पत्नी" स्तंभ शीर्षक के पश्चात् "हिंदू अविभक्त कुटुंब" शीर्षक के साथ एक नया स्तंभ अंत:स्थापित किया जाएगा।"
- (iii) पैरा (8) की सारणी में, दोनों स्थानों पर आने वाले "पति/पत्नी" स्तंभ के पश्चात् "हिंदू अविभक्त कुटुंब" शीर्षक के साथ एक नया स्तंभ अंत:स्थापित किया जाएगा ";
- II. भाग ख में, पैरा (11) के नीचे सारणी में-
 - (i) क्रम संख्या 7 में, प्रविष्टि (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी,अर्थात् : -
 - "(ग) हिंदू अविभक्त कुटुंब
 - (घ) आश्रित";
 - (ii) क्रम संख्या 8 में,
 - (क) विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् : -

"आस्तियों और दायित्वों (अपतट आस्तियों सहित) के रुपयों में ब्यौरे";

- (ख) सारणी में, "पति/पत्नी" स्तंभ के पश्चात् "हिंदू अविभक्त कुटुंब" शीर्षक के साथ एक नया स्तंभ अंत:स्थापित किया जाएगा;
- III. उक्त प्ररूप के अंत में सत्यापन के पश्चात् आने वाले "टिप्पण:4" के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण: 5. शपथ पत्र का प्रत्येक पृष्ठ अभिसाक्षी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ऐसे नोटरी या शपथ आयुक्त या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष शपथ पत्र सत्यापित किया जाता है, की स्टांप होनी चाहिए।"।

> [फा. सं. एच-11019/13/2016-विधायी 2] डॉ. रीटा वशिष्ट, अपर सचिव

पाद टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. संख्यांक 859, तारीख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का.आ. संख्यांक 5196(अ), तारीख 10 अक्तूबर, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2019

S.O. 1023(E).—In exercise of the powers conferred by section 169 read with section 33 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government after consulting the Election Commission hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Elections Rules, 1961, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Conduct of Elections Rules, 1961 in FORM 26,—
- I. in PART A—
 - (i) for paragraph (4) and the Table thereunder, the following shall be substituted, namely:—•
 - "(4) Details of Permanent Account Number (PAN) and status of filing of income tax return:

Sl.No.	Names	PAN	The financial year for	Total income shown in
			which the last income-tax return has been filed.	income tax return (ir Rupees) for the last five Financial Years (as on the
				31 st March).
1.	Self			(i)
				(ii)
				(iii)
				(iv)
				(v)
2.	Spouse			(i)
				(ii)
				(iii)
į				(iv)
-				(v)
3.	HUF (If the Candidate is Karta			(i)

[or Coparcener)			7
	1	ŀ	1	(ii)
		•	3	(iii)
				(iv)
				(v)
4.	Dependent-1			(i)
				(ii)
				L.
				(iii)
	1. \$ 1.			(iv)
				(v)
5.	Dependent-2			(i)
				(ii)
				L
				(iii)
	·	j		(iv)
1				(v)
6.	Dependent-3		 	<u>L</u>
-				(i)
				(ii)
		k .		(iii)
		[5		(iv)
				(v)

Note: It is mandatory for PAN holder to mention PAN and in case of no PAN, it should be clearly stated "No PAN allotted".

(ii) in paragraph (7). —

(a) under the heading "A. Details of movable assets", after "Note 5", the following Note shall be inserted, namely:—

'Note: 6. Details should include the interest in or ownership of offshore assets.

Explanation,— For the purpose of this Form, the expression "offshore assets" includes, details of all deposits or investments in Foreign banks and any other body or institution abroad, and details of all assets and liabilities in foreign countries";

- (b) in the Table, after the column heading "Spouse", a new column with heading "HUF" shall be inserted.";
- (c) under the heading "B. Details of Immovable Assets"—
 - (A) after the "Note 2", the following Note shall be inserted, namely:—
 - "Note: 3. Details should include the interest in or ownership of offshore assets."
 - (B) in the Table, after the column heading "Spouse", a new column with heading "HUF" shall be inserted."
- (iii) in paragraph (8), in the table, after the column "Spouse" occurring at both the places, a new column with heading "HUF" shall be inserted.";
- II. in PART B, in paragraph (11), in the Table thereunder—
 - (i) in serial No. 7, for entry (c), the following entries shall be substituted, namely:—
 "(c) HUF
 - (d) Dependent";
 - (ii) in serial No. 8, —

- (a) for the existing heading, the following heading shall be substituted, namely:—
- "Details of Assets and Liabilities (including offshore assets) in rupees";
- (b) in the Table, after the column "Spouse", a new column with heading "HUF" shall be inserted;
- III. at the end of the said FORM, after the "Note: 4", occurring below the heading "Verification", the following Note shall be inserted, namely:—

"Note: 5. Each page of the Affidavit should be signed by the deponent and the Affidavit should bear on each page the stamp of the Notary or Oath Commissioner or Magistrate before whom the Affidavit is sworn."

[F. No. H-11019/13/2016-Leg. II]
Dr. REETA VASISHTA, Addl. Secy.

Footnote: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 859, dated the 15th April, 1961 and last were amended vide number S.O. 5196(E), dated the 10th October, 2018.

प्ररूप 26 (नियम 4क देखिए)

कृपया यहां पासपोर्ट साइज का अपना नवीनतम फोटो चस्पा करें

				THOI SIX II IX				
				 निर्वाचन -				
	क्षेत्र	से (निर्वाचन	क्षेत्र का नाम)					
	(संदन का नाम) के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर							
के सम	क्ष अभ्यर्थी द्वारा नाम-निर्देशन प	•		थ पत्र				
		भाग–	-क					
में,	पुत्र/पुत्री/पत्नी	आ	ायुवर्ष, जो	(डाक का पूरा पता				
लिखें)	का / की निवासी हूं, और उप	रोक्त निर्वाचन	ं के लिए अभ्यर्थी हूं, सत्य	ानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता				
हूं / कर	रती हूं, शपथ पर निम्नलिखित	ा कथन करता	हूं / करती हूं :-					
(1)	मैं		("राज	ननैतिक दल का नाम)				
	द्वारा खड़ा किया गया अभ्यश	र्थी / "एक स्वतं	ांत्र अभ्यर्थी के रूप में ल	ड़ रहा हूँ।				
	("जो लागू न हो उसे काट	दे)						
(2)	मेरा नाम	(नि	र्वाचन-क्षेत्र और राज्य क	ग नाम) में भाग सं				
	के क्रम सं	पर	प्रविष्ट है ।					
(3)	मेरा/मेरे संपर्क दू	रभाष संख्या/संख	व्याएं है/हैं और	मेरा ईमेल पता (यदि कोई				
	हो) है तथा मेरा/मेरे सोशल मीडिय	ा खाता/खाते (या	दे कोई हो) निम्नलिखित है/हैं	1				
	(i)							
	(ii) (iii)							
(4)	स्थायी खाता संख्या (पैन) और	आयकर विवरणी	फाइल करने की प्रास्थितिः					
क्रम	नाम	पीएएन	वह वित्तीय वर्ष जिसके					
सं.		(स्थायी	लिए अंतिम आय-कर	(31 मार्च को) के लिए				
		खाता संख्या)	विवरणी फाइल की गई	आय-कर विवरणी में				
			है ।	दर्शित कुल आय (रुपये				
				में)				
1.	स्वयं			(i)				
				(ii) (iii)				
				(iv)				
				(v)				
2.	पति/पत्नी			(i)				
	11811 18 11			(ii)				
				(iii)				

	•		
			(v)
3.	हिंदू अविभक्त कुटुंब (यदि		(i)
	अभ्यर्थी कर्ता या सहदायिक		(ii)
	है)		(iii)
	(6)		(iv)
			(v)
4.	आश्रित – 1		(i)
			(ii)
			(iii)
			(iv)
			(v)
5.	आश्रित – 2		(i)
			(ii)
			(iii)
			(iv)
			(v)
6.	आश्रित – 3		(i)
			(ii)
			(iii)
			(iv)
			(v)

टिप्पणः स्थायी खाता संख्या (पैन) धारक के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना आज्ञापक होगा और कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) न होने की दशा में यह स्पष्ट रुप से कथन करना चाहिए कि "कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आबंटित नहीं हुआ है"।

(5) लंबित आपराधिक मामले

(i) मैं यह घोषणा करता/ करती हूं कि मेरे विरुध्द कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। (यदि अभ्यर्थी के विरुध्द कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने 'लागू नहीं' होता है लिखें)

या

(ii) मेरे विरुध्द निम्नलिखित आपराधिक मामले लंबित हैः (यदि अभ्यर्थी के विरुध्द कोई आपराधिक मामले लंबित है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे की सारणी में सभी लंबित मामलों के ब्यौरे दें)

सारणी

		T	
(क)	संबध्द पुलिस थाने के		
	नाम और पते के साथ		
	प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं.		
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ		
	मामला सं.		
(ग)	अंतर्वलित संबध्द अधिनियमों/		
	संहिताओं की धाराएं (धारा की		
	सं. दें, अर्थात् भारतीय दंड		
	संहिता, आदि की		
	धारा)		
(ਬ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण		
(ভ্র	क्या आरोप विरचित किए गए		
	हैं (हां या नहीं का उल्लेख		
	करें)		
(च)	यदि उपर्युक्त मद (ङ) के सामने		
	उत्तर हां है, तो वह तारीख दे,		
	जिसको आरोप विरचित किए		
	गए थे		
(छ)	क्या कार्यवाहियों के विरुध्द		
	कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए		
	आवेदन फाईल किया गया है		
	(हां या नहीं का उल्लेख करें)		

(6) दोषसिध्दि के मामले,-

(i) मैं यह घोषणा करता/ करती हूं कि मुझे किसी आपराधिक मामले में दोषसिध्द नहीं किया गया है।

(यदि अभ्यर्थी के दोषसिध्द नहीं किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने 'लागू नहीं' होता है लिखें)

या

(ii) मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिए दोषसिध्द किया गया है:

(यदि अभ्यर्थी के दोषसिध्द किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें, और नीचे दी गई सारणी में ब्यौरे दें)

सारणी

(ক)	मामला संख्यांक		
(ख)	न्यायालय का नाम		
(ग)	अंतर्वलित		
	अधिनियमों/संहिताओं की		
	धाराएं (धारा की सं. दे,		

	अर्थात् भारतीय दंड संहिता,		
	आदि की धारा)		
(ঘ)	अपराधों का संक्षिप्त विवरण,		
	जिनके लिए दोषसिध्द किया		
	गया है		
(ভ)	दोषसिध्द के आदेशों की		
	तारीखें		
(च)	अधिरोपित दंड		
(छ)	क्या दोषसिध्द के आदेश के		
	विरुध्द कोई अपील फाईल		
	की गई है (हां या नहीं का		
	उल्लेख करें)		
(ज)	यदि उपरोक्त मद (छ) का		
	उत्तर हां है, तो अपील के		
	ब्यौरे तथा वर्तमान प्रास्थिति		
	दें		

(6क) मैने, ऊपर पैरा (5) और (6) में दिए गए अनुसार मेरे विरुध्द सभी लंबित आपराधिक मामलों की और दोषसिध्दि के सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल को पूरी और अद्यतन सूचना दे दी है।

[ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्हें यह मद लागू नहीं होती है, उपरोक्त पैरा 5(i) और पैरा 6(i) में की प्रविष्टियों को देखते हुए, स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है, लिखना चाहिए]

टिप्पण:

- 1. ब्यौरे स्पष्ट रुप से और स्पाठ्य रुप से बड़े अक्षरों में प्रविष्ट किये जाने चाहिए।
- 2. प्रत्येक मद के मामले विभिन्न स्तंभों के अधीन प्रत्येक मामले के लिए ब्यौरे पृथक रुप से दिए जाए।
- 3. ब्यौर विलोम कालानुक्रम में दिए जाने चाहिए, अर्थात नवीनतम मामलों को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।
- 4. यदि अपेक्षित हो तो पृथक शीट जोड़ी जा सकती हैं।
- 5. अभ्यर्थी 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी सूचनाएं देने का उत्तरदायी होगा"।
- (7) यह कि मैं, मेरे पित या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हू:

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा / विनिधान की दिशा में क्रम सं. रकम जमा की तारीख, स्कीम, बैंक / संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं। टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों / शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - "आश्रित" से अभ्यर्थी के माता-िपता, पुत्र, पुत्री या पित या पत्नी और अभ्यर्थी से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह रक्त द्वारा हो या विवाह द्वारा, अभिप्रेत है (हैं), जिसके आय के पृथक साधन नहीं है और जो अपने जीवनयापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित हैं।

टिप्पण 5 - प्रत्येक विनिधान के संबंध में रकम सहित ब्यौरे अलग-अलग रुप में दे जाने हैं।

टिप्पण 6 - ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

स्पष्टीकरणः इस टिप्पण के प्रयोजन के लिए "अपतट आस्तियों" पद से विदेशी बैकों और किसी अन्य विदेशी निकाय या संस्था में सभी जमा राशियों या विनिधानों के ब्यौरे और विदेशों में सभी आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे अभिप्रेत है:

	विवरण	स्वयं	पति या		आश्रित—1	आश्रित–2	आश्रित–3
क्र.सं.	1447-1	144	पत्नी पत्नी	हिंदू	Sill Alti	JIII/ICI Z	Sillord 3
				अविभक्त			
				कटंब			
(i)	हाथ में नकदी						
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे						
	(नियत जमा, आवधिक जमा						
	और अन्य सभी प्रकार के						
	जमा जिसमें बचत खाते भी						
	हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर						
	बैंककारी वित्तीय कंपनियों						
	और सहकारी सोसाइटियों के						
	पास जमा और ऐसे प्रत्येक						
	जमा में रकम						
(iii)	कंपनियों / पारस्परिक						
(,	निधियों और अन्य में बंधपत्रों,						
	डिबेंचरों / शेयरों तथा यूनिटों						
	में विनिधान के ब्यौरे और						
	रकम						
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक						
(17)	बचत, बीमा पालिसियों में						
	विनिधान के ब्यौरे और						
	डाकघर या बीमा कंपनी में						
	किन्हीं वित्तीय लिखतों में						
	विनिधान और रकम						
	। ।पागधान आर रकम						
(,,)	किसी व्यक्ति या निकाय						
(v)							
	जिसमें फर्म, कंपनी न्यास						
	आदि को दिए गए वैयक्तिक						
	ऋण/अग्रिम और ऋणियों						
	से अन्य प्राप्य तथा रकम						
(vi)	मोटर वाहन/ वायुयान/						

	याच / पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)			
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)			
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों / हित का मूल्य			
(ix)	सकल कुल मूल्य			

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 — संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस संरुप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

टिप्पण 3 – ब्येरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए ।

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या	हिंदू	आश्रित—1	आश्रित—2	आश्रित—3
			पत्नी	अविभक्त			
				कुटुंब			
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति						
	(अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या						
	(संख्याएं)						
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)						
	क्या विरासत में आई संपत्ति है						
	(हां या नहीं)						
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय						
	की तारीख						
	क्रय के समय भूमि की लागत						
(क्रय की दशा में)							
	विकास, संनिर्माण आदि के						
	माध्यम से भूमि पर कोई						
	विनिधान						
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य						
(ii)	गैर-कृषि भूमि :						
	अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण						
	संख्या (संख्याऐं)						
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)						

			ı	I	I	П
	क्या विरासत में मिली हूई संपत्ति					
	है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय					
	की तारीख					
	क्रय के समय भूमि की लागत					
	(क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण आदि के					
	माध्यम से भूमि पर कोई					
	विनिधान					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट					
	सहित)					
	-अवस्थिति (अवस्थितियां)					
	-सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	 				
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल					
	माप)					
	क्या विरासत में मिली हूई संपत्ति					
	है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय					
	की तारीख					
	क्रय के समय भूमि की लागत					
	(क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण आदि के					
	माध्यम से संपत्ति पर कोई					
	विनिधान					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट					
	सहित)					
	-अवस्थिति (अवस्थितियां)					
	-सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)					
	क्षेत्र वर्ग फुट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल					
	माप)	 				
	क्या विरासत में मिली हूई संपत्ति	 				
	है (हां या नहीं)	 				
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय					
	की तारीख	 				
	क्रय के समय भूमि की लागत	 				
	(क्रय की दशा में)	 				
		_				

	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान				
	अनुमानित वर्तमान मूल्य				
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)				
(vi)	पूर्वीक्त (i) से (v) का कुल वर्तमान				
	बाजार मूल्य				

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देयताओं/देय राशि के ब्यौरे नीचे देता हूं :— (टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समक्ष रकम के ब्यौरों का अलग-अलग विवरण दें)

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित—1	आश्रित—2	आश्रित—3
(i)	बैंक / वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या देय राशि बैंक या वित्तिय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या देय राशि नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति						
	कोई अन्य देयता						
	देयतओं का सकल योग						

(ii)	सरकारी ओवास से संबंधित विभागों को शोध्य	(i) (ii)	(ii) उपरोक्त सरकारी आवास के संबंध में, निम्नलिखित के मद्दे कोई शोद्य संदेय नहीं है- (क) भाटक; (ख) विद्युत प्रभार; (ग) जल प्रभार; और (घ)(तारीख) को टेलीफोन प्रभार						
		प्रभार, ज	[तारीख उस मास से, जिसमें निर्वाचन अधिसूचित किया जाता है, पूर्व तीसरे मास की अंतिम तारीख या उसके पश्चात् की कोई तारीक होनी चाहिए] टिप्पण- उपरोक्त सरकार आवास के लिए भाटक, विद्युत प्रभार, जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार की बाबत् संबंधित अभिकरणों का "बेबाकी प्रमाणपत्र" प्रस्तुत किया जाना						
(iii)	सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को शोध्य (जिसके अंतर्गत वायुयान और हेलीकॉप्टर भी है)								
(iv)	आयकर शोध्य								
		स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित—1	आश्रित—2	आश्रित—3		
(v)	जीएसटी शोध्य		_						
(vi)	नगरपालिका/ संपत्ति पर शोध्य								
(vii)	काई अन्य शोध्य								
(viii)	सभी सरकारी शोध्य का कुल योग								
(ix)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त हैं, यदि ऐसा है तो								

	प्रधिकारी का, जिसके समक्ष यह लंबित है, उल्लेख करें।"-
(9)	वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे : (क) स्वयं(ख) पति या पत्नी
(9क) अ	य के स्रोतों के ब्यौरो : (क) स्वयं
	(ख)पति या पत्नी
	 (ग) आश्रित के आय के स्रोत, यदि कोई हों
(9ख	समुचित सरकार और किसी पब्लिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाए- (क) अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे
	(ग) आश्रित द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे
	 (घ) हिंदू अविभक्त कुटुम्ब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबध्द हैं, द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे
	(ङ) भागीदारी फर्मों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार है
	 (च) प्राईवेट कम्पनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रितों हिस्सा हैं
(10) मे	ो शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-
विद्य	।"। गपत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम लय / विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय गम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

उसमें अंतर्वलित रकम का और

भाग—ख (**11**) भाग-क के (1) से (10) में तक में दिए गए ब्यौरों का सारांश

1.		अभ्यर्थी का नाम				र्श्र	ो / श्रीमती			
2.		डाक का पूरा पता								
3.		निर्वाचन क्षेत्र की संख्या	और नाम त	ाथा राज	-य					
4.		उस राजनैतिक दल व	ग नाम जि	ासने अ	भ्यर्थी					
		को खड़ा किया है (अन्य		-						
5.		लंबित आपराधिक मामले	ां की कुल	संख्या						
6		ऐसे मामलों की कुल	संख्या जि	ानमें दोष	सिध्द					
		ठहराया गया हैं।								
7.			स्थायी लेखा	ा सं. (पैन	Γ)	वह	ह वर्ष जिसवे	p लिए अंतिम	कुल द	र्शित आय
						अ	ाय-कर विव	रणी फाइल व	ति 🕺	
						गुड्	ई है			
		(क) अभ्यर्थी								
		(ख) पति या पत्नी								
		(ग) हिंदू अविभक्त कुटुंब								
		(घ)आश्रित								
8.		आस्तियों और दायित्वों (अप	गतट आस्तिये	ं सहित)	के रुप	यों	में ब्यौरे		L	
		विवरण		स्वयं	पति				आश्रित–2	आश्रित—3
					पत्नी		अविभक्त			
							कुटुंब			
क.		जंगम आस्तियां (कुल मूल	य)							
ख.		स्थावर आस्तियां								
	i	स्वार्जित स्थावर संपत्ति	की क्रय							
		कीमत्								
	ii	क्रय के पश्चात् स्थावर								
		विकास / संनिर्माण लाग >\	ात (यदि							
	;;;	लागू हो) निम्नलिखित का अनुमानित	तर्नण =							
	iii		परामाग							
		बाजार मूल्य- (क) स्वार्जित आस्तियां	(ma							
		(क) स्वाजित आस्तिया मूल्य)	(પ્યુલ							
		(ख) विरासती आस्तियां	(कल							
			(3)							
		मूल्य)								

9		देयताएं					
	i	सरकारी देय राशि(कुल)					
	ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य					
		से ऋण (कुल)					
10		ऐसे देयताएं जो विवादाधीन हैं					
	i	सरकारी देय राशि (कुल)					
	ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य					
		से ऋण (कुल)					
11		उच्चतम शैक्षणिक अर्हताः					
		(प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण रुप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम					
		विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष					
		जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय—वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है । मैं यह और घोषणा करता हूं कि:—

- (क) मेरे विरूद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है:
- (ख) मेरे पित या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या देयता से भिन्न कोई आस्ति या देयता नहीं है।

		$\overline{}$		\sim		
आज	ताजाग्र	का	सत्यापित	किया	गया	- 1
ું છે	VII VI G		MAHAM	14741	ગુબા	- 1

अभिसाक्षी

- टिप्पणः 1 शपथपत्र नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन अपराहन 3.00 बजे तक दाखिल कर दिया जाना चाहिए।
- टिप्पणः 2 शपथपत्र पर किसी शपथ किमश्नर या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पणः 3 सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में उपलब्ध करने के लिए कोई सूचना नहीं है तो, यथास्थिति ''शून्य'' या ''लागू नहीं होता'' उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पणः 4 शपथपत्र या तो टंकित या सुपाठ्य रूप से साफ-साफ लिखा होना चाहिए।

टिप्पणः 5 शपथ पत्र का प्रत्येक पृष्ठ अभिसाक्षी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ऐसे नोटरी या शपथ आयुक्त या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष शपथ पत्र सत्यापित किया जाता है, की स्टांप होनी चाहिए।

(विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. एच-11019/04/2018-विधि-II दिनांक 10.10.2018 और सं. एच-11019/13/2016-विधायी 2 दिनांक 26.02.2019)